भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4443
19.07.2019 को उत्तर के लिए

ओसाका ब्लू ओशियन विज़न

4443. श्री मारगनी भरत:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जी-20 शिखर सम्मेलन ने 2050 तक समुद्री प्लास्टिक कचरे से होने वाले अतिरिक्त प्रदूषण को हटाने हेतु ''ओसाका ब्लू ओशियन विजन'' अपनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कचरा प्रबंधन में सुधार और उसके साथ-साथ समाज के लिए प्लास्टिक के महत्व को पहचानते हुए नवाचार समाधन ढूंढने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख) जी-20 शिखर सम्मेलन 2019 के दौरान, एक साझा वैश्विक विज़न अर्थात् ''ओसाका ब्लू ओशियन विजन'' साझा किया गया था जिसका उद्देश्य समुद्री प्लास्टिक कचरे से होने वाले अतिरिक्त प्रदूषण को एक व्यापक जीवन-चक्र दृष्टिकोण के माध्यम से वर्ष 2050 तक कम करके समाप्त करना है जिसमें उन्नत अपशिष्ट प्रबंधन तथा नवाचारी समाधानों द्वारा गलत ढंग से प्रबंधित प्लास्टिक कचरे के निस्सरण को कम करना शामिल है।

(ग) देश में अपशिष्ट प्रबंधन की स्थिति में सुधार लाने हेतु, भारत सरकार द्वारा विभिन्न अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को व्यापक रूप से संशोधित किया गया है और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापारीय संचलन) नियम, 2016, ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 और निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 अधिसूचित किए गए हैं, जिनका उद्देश्य ऐसे अपशिष्टों का पृथक्करण, संग्रहण, पुनर्चक्रण/ पुन:उपयोग, संशोधन और निपटान में पर्यावरणीय दृष्टि से सुदृढ ढंग से सुधार लाना है। इसके अलावा, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार लाने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने प्लास्टिक अपशिष्ट के संग्रहण, पृथक्करण और निपटान संबंधी अपने दिशानिर्देशों में, सड़क निर्माण में प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रयोग, सीमेंट भट्टों में सह-प्रसंस्करण, प्लास्टिक अपशिष्ट को गलाकर फिर से प्राप्त किए गए ईंधन के रूप में परिवर्तन और प्लाज्मा पाइरोलाइसिस प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्लास्टिक अपशिष्ट के निपटान सहित प्रौद्योगिकीयुक्त समाधान निर्धारित किया है।

ii. दस लाख से अधिक आबादी वाले 46 शहरों और 20 राज्य की राजधानियों तथा गंगा नदी के किनारे स्थित 118 शहरों के आयुक्तों को अवमानक (50µ से कम मोटाई वाली) प्लास्टिक थैलियों (हैंडलयुक्त या हैंडल रहित) के विनिर्माण और प्रयोग को प्रतिबंधित करने के संबंध में निदेश जारी किए गए हैं।

iii. सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों तथा शहरी विकास के प्रभारी सचिवों को '' 60 प्रमुख शहरों में प्लास्टिक अपशिष्ट के आकलन और लक्ष्यों के विवरण'' के संबंध में प्रकाशित रिपोर्ट परिचालित की गई और अनुरोध किया गया कि वे प्लास्टिक अपशिष्ट के उचित प्रबंधन के लिए कार्य योजना प्रस्तुत करें।

iv. सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों को ''एसएमसी/एफआरपी सहित थर्मोसैट प्लास्टिक अपशिष्ट के निपटान हेतु दिशानिर्देश'' कार्यान्वयन हेतु जारी किए गए।

v. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 4 (ज) के अनुसार कम्पोस्ट के रूप में परिवर्तनीय थैलियों के विनिर्माताओं/विक्रेताओं/ स्टॉकिस्टों के पंजीकरण हेतु मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गई है।

vi. आईएस/आईएसओ 17088 के अनुरूप 100% जैव-आधारित, कम्पोस्ट के रूप में परिवर्तनीय थैलियों को बढ़ावा।

*****